आखिरी जांच: 22 अक्टूबर 2026 · Women and Child Development Department, Government of Haryana

HARIHAR (Homeless, Abandoned and Surrendered Children Rehabilitation Initiative Haryana) Policy

हरियाणा की हरिहर नीति बाल देखरेख संस्थाओं में पले परित्यक्त और समर्पित बच्चों को शिक्षा, आफ्टर केयर, आर्थिक मदद, मकान के लिए कर्ज और नौकरी में सहायता देती है।

क्या मिल सकता है

तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण सहित मुफ्त स्कूल और उच्च शिक्षा, आफ्टर केयर में रहने की सुविधा, नौकरी न मिलने पर सामाजिक सुरक्षा विकलांगता पेंशन के बराबर मदद, विवाह पर एक बार का ब्याज मुक्त मकान कर्ज, और ईडब्ल्यूएस दर्जे के साथ अनुकंपा नौकरी।

किसके लिए है

परित्यक्त और समर्पित बच्चे जिन्हें बहुत छोटी उम्र में हरियाणा की बाल देखरेख संस्था में भर्ती किया गया और जो वहीं रहते हुए वयस्क हो गए।

मुख्य शर्तें

- बच्चे को हरियाणा की बाल देखरेख संस्था में परित्यक्त या समर्पित बच्चे के रूप में भर्ती किया गया हो और बाल कल्याण समिति ने उसे ऐसा घोषित किया हो
- व्यक्ति बाल देखरेख संस्था में रहते हुए वयस्क हुआ हो
- नौकरी और ईडब्ल्यूएस का लाभ केवल एक बार मिलता है और इसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता चाहिए
- हर मामले को उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला अनुमोदन समिति मंजूर करती है

दस्तावेज़

- बाल देखरेख संस्था में रहने का प्रमाण
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण
- अधिवास प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. यदि आप अब भी बाल देखरेख संस्था में हैं तो संस्था प्रभारी आपका मामला जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजते हैं।
2. यदि आप संस्था से बाहर रहते हैं तो जिस जिले में आपकी संस्था थी, वहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी को दस्तावेजों के साथ सीधे आवेदन करें।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी रिकॉर्ड जांचते हैं, जिला अनुमोदन समिति फैसला करती है और फिर परित्यक्त या समर्पित होने का प्रमाणपत्र जारी होता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://wcdhry.gov.in/schemes-for-children/harihar-scheme/
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s34c144c47ecba6f8318128703ca9e2601/uploads/2023/09/20230920172517143 7.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/haryana/hr-harihar-children-rehabilitation/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।